अन्तिम डिक्री मुकदमे इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्डअधिकारी एवम् पदेनसहायककलक्टरपीलीबंगा

पीठासीनअधिकारी :–अमिताबिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 274 / 2022

1. सुभाषचन्द्र , पुत्रगण
2. रायसिंह — जोतराम
3. कैलाशदेवीपुत्री — जातिजाटसाकिन 5 एलएमतहसीलअनुपगढजिलाश्रीगंगानगर

–वादीगण–

बनाम

1.सोनूसिंह — पुत्रगणफौजा सिंह
2. स्वरूपसिंह
3. हरदीप सिंह — पुत्रगणगुरनाम सिंह
4. हरपाल सिंह

जातिरायसिख निवासीबडोपलतहसील पीलीबंगाजिलाहनुमानगढ।

5. राजस्थानसरकारजरियेतहसीलदारपीलीबंगा ।
6. बलविन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह जातिरामसिरपनिवासी 3 एनआरडीबीनिरवाणातहसीलसूरतगढ।

दावाअन्तर्गत धारा 53,183आर.टी.ए. बाबत घोषणा

वादीगण की ओर से श्री मदन पारीक अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 6 की ओर से श्री कुलदीप सिंह धालीवाल अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को **अमिताबिश्नोईआर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद मा. राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय 21.03.25 की अनुपालना एवं तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पत्रांक 627 दिनांक 22.08.24 के आधार पर वाद पत्र अन्तिम डिक्री किया जाकर निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है–

1. सुभाषचन्द–रायसिंह–कैलाश देवी पिसरान जोतराम जातिजाट निवासी 5 एलएम अनुपगढ जिला श्रीगंगानगर **बहिब मोरूसीदार–1152 / 1.198 है. ,1155 / 0.236 है. कुल 1.434 है. बारानी प्रथम**
2. हरनाम सिंह पुत्र साहब सिंह 0.253 है. फोजा सिंह गुरनाम सिंह पिसरान साहबसिह 1.180 है. सोनु सिंह–स्वरूप सिंह पिसरान फोजा सिंह 0.717 है. हरदीप सिंह–हरपाल सिंह पिसरान गुरनाम सिंह 0.716 है. जाति रायसिख साकिन बडोपल खातेदार– 1152 / 2.395 है., 1155 / .472 है. कुल 2.867 है. बारानीप्रथम।

प्राथमिक डिक्री मूल डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्ताअनुसार खाता विभाजन कर रकम राज अलग कायम की जावे उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वनविभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार [illegible] राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया [illegible] अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / [illegible] रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक [illegible]25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.05.02 17:44:06 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोईआर.ए.एस.)
उपखण्डअधिकारी एवम्
पदेनसहायककलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा